प्रारूप

विभाग का नाम :— सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

विभाग का पता :— एल. एम. बंद कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली—110031

तारांकित /अतारांकित प्रश्न संख्या :— तारांकित 11

दिनांक :— 19/03/2018

प्रश्नकर्ता का नाम :— श्री सुरेन्द्र सिंह

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 16.528 एकड़ भूमि सीबी नारायणा में विकास हेतु दी गई थी;	हाँ, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 16/08/2012 को नारायणा वॉटर बॉडी (जलाशय) तथा इसके आसपास आने वाली भूमि में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को विकास कार्य दिया गया था। जिसमें लगभग 7.73 एकड भूमि पर वॉटर बॉडी (जलाशय) का विकास कार्य जैसे कि जलाशय को गहरा करना तथा स्थिर करना, पगडंडी का निर्माण करना, बैंच लगाना इत्यादि शामिल था । लेकिन यह कार्य विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी जलाशय में गन्दे पानी के निरंतर आगमन के न रूक पाने के कारण संभव नहीं हो सका । अंतः लोक निर्माण विभाग के अनुरोध दिनांक 26—07—2016 के अनुसार 08—08—2016 को इस भूमि को वापस लोक निर्माण विभाग को हस्तांरित कर दिया गया ।
(ख)	जिस विभाग ने ये भूमि दी थी उसका विवरण क्या है;	लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार ।
(ग)	इस उद्देश्य के लिए आवंटित किए गए और वास्तव में जारी किए गए फंड की राशि का विवरण क्या है;	इस उद्देश्य के लिए शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 17—10—2012 को कुल 6.75 करोड़ की राशि का

		प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति को जारी किया गया था। परंतु जलाशय में गन्दे पानी के निरंतर आगमन के न रूक पाने के कारण केवल साफ सफाई व मलबा हटाने का कार्य संपन्न हो सका था जिस पर रू0 1,56,851/–खर्च किए गए थे ।
(घ)	राजस्व विभाग ने ये भूमि किस विभाग को आवंटित की थी; और	भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, जिला नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15–3–2018 के अनुसार उपरोक्त भूमि के0लो0नि0वि0 ,भारत सरकार को अवार्ड नं0 1024 दिनांक 27–06–1960 द्वारा दी गई थी।
(ड़)	राजस्व विभाग द्वारा आवंटित इस अवार्ड की संख्या व तिथि का विवरण क्या है?	अवार्ड नं0 1024 दिनांक 23–06–1960 ।

अखिल
कार्य सर्वेक्षक